रोज़गार गारंटी कानून
नरेगा

हर घर का है
अधिकार,
साल में 100 दिन
का रोज़गार।

जॉब कार्ड बनने पर ही
बनोगे तुम काम के हक़दार।
?

कार्ड मिला अब माँगो काम,
काम का लो उचित दाम।

15 दिन
में काम मिलता,
काम नहीं तो
पाएं भत्ता।

न्यूनतम मज़दूरी का प्रावधान,
महिला-पुरुष
सब एक समान।

योजना क्यों ? अच्छी योजना क्या है

योजना निर्माण एक चिन्तन प्रक्रिया है जिसमें, भविष्य के सपने हैं, और सपनों को जमीन पर उतारने की स्पष्ट, समयबद्ध रणनीति है।

एक अच्छी योजना वह है जिसमें:–

1. भविष्य की दृष्टि है।
2. पर्यावरण का हित है।
3. गरीबों का ध्यान है।
4. व्यवहारिकता का ख्याल है।
5. नियमों/प्रावधानों का सम्मान है।
6. संसाधन की सुनिश्चित उपलब्धता है।
7. समयबद्ध ठोस परिणाम अपेक्षित है।

यह ध्यान रखना जरूरी है कि योजना निर्माण सिर्फ स्कीमों को चिह्नित करने की प्रक्रिया नहीं है, हर स्कीम के चयन के पीछे एक निश्चित उद्देश्य है जो स्पष्ट होना चाहिए।

इससे कितने लोग, कहां के लोग और किन लोगों का लाभ होगा।

इसके पर्यावरण पर क्या असर होगा।

इसमें लोगों की आय (विशेषकर वंचित समुदाय) में क्या वृद्धि होगी?

क्या इससे मजदूरों को साल में 100 दिन का काम पाने में आसानी होगी?

क्या इससे उत्पादन परिसंपत्तियों का निर्माण हो पाएगा?

इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया एवं लोकतांत्रिक संस्थानों के सशक्तिकरण की दिशा में क्या प्रगति हुई?

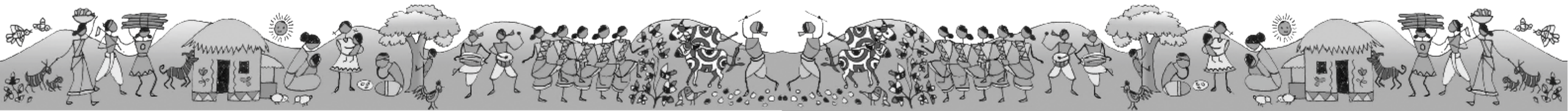

गाँव का इतिहास

हमें अपने गाँव के सही योजना बनाने के लिए यह जरूरी होगा कि हम अपने गाँव का इतिहास को जाने, उसे याद करें, उसे समझें। उसके हरेक पहलुओं पर चर्चा करें।

गांव के लोग, वचित समूह व्यक्ति और परिवार।

फसल की स्थिति, कितने प्रकार का फसल होता था अब क्या स्थिति है।

वर्षा जल और सिंचाई की स्थिति, पीने का पानी, खान–पान, रोजगार के अवसर, पशुधन, चारा, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा सामाजिक स्थिति पहले क्या थी और अब क्या है? ताकि उसके भविष्य की योजना में उसके सकारात्मक पक्ष को शामिल और नकारात्मक पक्ष से सीख लिया जा सके।

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीन रोजगार अधिनियम (MGNERGA) संसद में वर्ष 2005 में पारित किया गया था, जिससे की देश के गरीब परिवारों को 100 दिन के रोजगार का अधिकार प्रदान किया गया है।

मनरेगा के प्रमुख उद्देश्य

1. ग्रामीन कार्यकर्ताओं को वेतन संबंधी रोजगार का प्रावधान
2. ग्रामीन आजिविका के सशक्तिकरण हेतु संपत्ति का निर्माण।
3. ग्राम पंचायत के कार्यो की योजना बनाने एवं इसे क्रियान्वित करने में सुदृढ़ बनाना ताकि सहभागी स्थानीय शासन सुदृढ़ हो सके।
4. सन्निहित व्यवस्था द्वारा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करना।

ध्यान रखें

1. ऐसे परिवार जो मजदूरी पर निर्भर करते हों, को मनरेगा के माध्यम से रोजगार मिले। विशेषकर उन दिनों में जब अन्य रोजगारों की कमी हो।
2. महिलाएँ, बुजुर्ग एवं कमजोर वर्गो को रोजगार मिले तथा बराबर मजदूरी मिले।
3. मनरेगा के तहत निर्मित परिसंपति गुणवत्ता पूर्वक हो और लोगों विशेषकर गरीबों एवं कमजोर लोगों के आजीविका जीवन स्तर को उँचा उठा सके। कुछ परिसंपतियाँ दोनो ही उद्देश्यों को प्राप्त कर सकती है।
4. मनरेगा की क्षमता को समझते हुए लोग अपनी आवश्यक्ताओं एवं प्राथमिकताओं के बारे में निर्णय करें।
5. ग्राम पंचायतों को संख्या के रूप में कार्य करने हेतु सुदृढ़ किया जाय ताकि गरीबी कम करने एवं स्थानीय विकास हेतु सहभागी तौर पर योजना तैयार करने में सक्षम हो।
6. योजना निर्माण के समय सहभागिता की प्रक्रिया के उपर बहुत महत्व देना जरूरी है।

सहभागिता की विशेषताएँ :–

- समूहिक रूप से निर्णय लिए जाने के कारण यह बहुत पारदर्शी होगा एवं प्रत्येक सदस्य को इसमें अपने बात रखने, नकारने एवं संशोधन का अवसर होता है।
- अंतिम व्यक्ति की बात को पहले सुने इसका स्वरूप योजना में परिलक्षित करें।
- सहभागिता ज्यादा होने के कारण क्रियान्वयन में लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा होती है।
- योजना के संबंध में सिखाता है जैसे बैठकें करना, आंकड़ों का विश्लेषण, रणनीतिक योजना निर्माण।
- कुछ लोगों के हाथ से विकास की कड़ियों को लेकर बहुत लोगों के हाथ में सौपता है, साथ ही उनमें अपनापन की भावना निर्मित करता है।

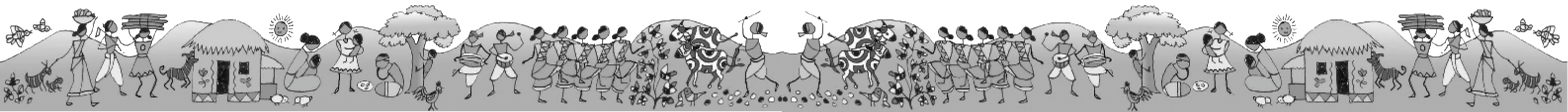

गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक संयुक्त पैदल भ्रमण

पैदल भ्रमण के दौरान योजना निर्माण की प्रक्रिया में यह एक आवश्यक कदम है। संसाधन व सामाजिक मानचित्रण घरों व संसाधनों की स्थिति की समझ देता है। लेकिन पैदल भ्रमण उन स्थितियों को बारीकी से दर्शाता है। घरों की स्थिति, पशुओं के लिए जगह, स्वच्छता, पेयजल श्रोत, सफाई व्यवस्था, वर्षा जल का बहाव, कृषि क्षेत्रों का भ्रमण, खेतों की स्थिति, सिंचाई, मिट्टी के प्रकार आदि।

गांव के सभी तरह के लोग मिलकर एक छोर से दूसरे छोर तक तथा अगल–बगल कोई टोले हैं तो टोलों तक भी पहुंचेंगे। खेतों से होकर उन बारीकियों को समझेंगे। वापस आकर उसे मानचित्रण में शामिल करेंगे। याद रखें, पैदल भ्रमण के समय Copy, Pen. Pencil इत्यादि लेना ना भूलें।

	चनिया महतो का खेत	कुआ 20 फीट गहरा	तालाब	नंद किशोर का खेत	चमिया महतो का खेत	चन्द्री महतो का खेत	डोभा	नंद [illegible] का खेत	जंगल पहाड़	कुआ पशु [illegible] का	बाघ		
SOIL मिट्टी	बालू + लाल मिट्टी	-	-	काली मिट्टी + बलुआही मिट्टी	बलुआही	बलुआही	फीट गहरा	बलुअही	.	20 फिट गहरा पत्थल का दिवार	बलुअही	परिचय · किसान	परिचय · किसान
जमिन के प्रकार	दोन-2	-	दोन-2	दोन-2	दोन-2	दोन-3		चौरा (दोन-3)			घर-बाड़ी	मेंहू · [illegible]	[illegible]
फसल पेड़ पौधे, आदि	धान	-	-	खरीफ में धान सब्जी + टमाटर	धान · [illegible]	धान · [illegible]		धान	घास		सुअर बैल बकरी	सुअर बैल बकरी	बैल · बकरी
पशु	-	-	-		बैल	-		-					
मूलभूत सुविधा	नहीं	-	निजी	निजी कुआँ	नहीं	-		-					बिजली
समस्या	पानी की कमी	तल में मिट्टी जमा है। पानी भर रुक सकता है चापने का डर	खेती के लिए पटवन करने पर सिर्फ अगात तक पानी रहता है।	-	पानी का व्यवस्था नहीं	पानी की व्यवस्था नहीं		सिंचाई की सुविधा नहीं		2-3 खेत धान, आलू का फसल			खाना सिर्फ 6 महीने के लिए
अवसर	सिंचाई की व्यवस्था		गहरीकरण	-	सिंचाई व्यवस्था, बैल के लिए चारा व्यवस्था	पानी होने पर सब्जी उत्पादन		डोभा का गहरीकरण दोन-2 के बराबर फसल		सालभर पानी रहता है	घर के लिए दाना / 40-50 [illegible] है	साल भर के लिए खाना	

परिस्थिति का आकलन

1. आधारभूत संरचनाओं में कमीः–आधारभूत संरचना वैसी संरचनाओं को कहते हैं जिन पर गाँव के विकास की नींव रखी जाती है। इनको उपलब्ध करवाना किसी भी सरकार य पंचायत के लिए प्रथम कर्त्तव्य है।जैसेबिजली, सड़क, पेयजल, विद्यालय, आंगनबाड़ी सिंचाई साधन, पशु चिकित्सालय इत्यादि।

शौचालय, स्वच्छता, सड़क, गली, अनाज, गोदाम, स्वयं सहायता समूह, पंचायत आदि के लिए भवन निर्माण, खेल मैदान आदि मनरेगा के तहत् बनाये जा सकते हैं।

2. सेवाओं की उपलब्धता एवं पहुँचः– आम जनता के लिए जरूरी सेवाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं जैसे स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, राशन, बिजली, पेयजल, वित्तीय परिवहन आदि।

सरकार द्वारा गाँव में कौन–कौन सी सेवाएँ दी जा रही हैं उनकी पहुँच कमजोर तबके तक कितनी है तथा उन्हें कैसे मजबूत कर सकते हैं?

3. आर्थिक परिस्थितिः–गाँव के सभी परिवारों के आय एवं जीवन यापन के श्रोतों की परिस्थिति को जानना जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, करीगरी, कौशल वनोपज, मजदूरी आदि।

व्यक्तिगत योजना बनाने से पहले चयनित गरीब परिवारों की आजीविका के हर श्रोत को विस्तार से जानें

4. मानव संसाधनः– गाँव के हर व्यक्त एवं परिवार के बारे में विस्तार से जानना जैसे कुल जनसंख्या, कुल मनरेगा मजदूर की संख्या, शिक्षा दर, बेरोजगारी दर आदि।

आकलन कीजिए कि मनरेगा के तहत् कितने परिवार काम करना चाहते हैं, जिनका जॉब कार्ड नहीं बना है, कौन से परिवार को कितने दिन का रोजगार चाहिए

5. प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधनः– गाँव में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन जो गाँव की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण हो जैसे जंगल, पानी के श्रोत, जमीन के प्रकार, जमीन के उपयोग मिट्टी आदि।

हर खेत, हर जमीन की वर्त्तमान स्थिति देखें तथा उनके उपयोग के हिसाब से उनकी योजना बनायें। जलछाजन के आधार पर योजना बनायें!!

6. सामाजिक परिस्थितिः–गाँव के महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे जो गाँव के विकास के लिए जरूरी है जैसे गाँव में महिलाओं की परिस्थिति, बाल मजदूरी, सामाजिक कुरीतियाँ, दलित एवं आदिवासियों की स्थिति, एकल महिला, विकलांग, बेसहारा बुजुर्ग परिवार, भूमिहीन आदि।

मनरेगा के तहत् व्यक्तिगत योजनाओं में गरीब एवं अतिगरीब परिवारों की आवश्यकता को प्राथमिकता दें।

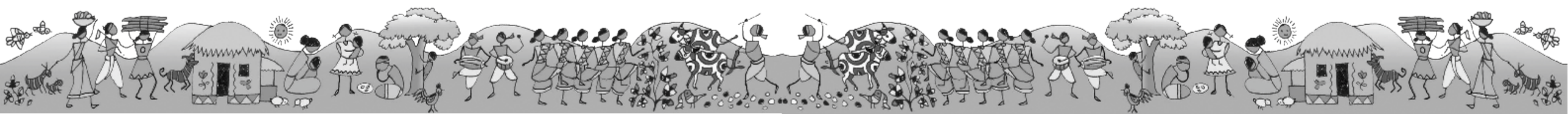

वंचित परिवारों की पहचान

1. भूमिहीन परिवार
2. पलायन करने वाले परिवार
3. अनुसूचित जाति
2. अनुसूचित जनजाति
4. बन्धुआ मजदूरों या बाल मजदूरी से मुक्त परिवार
5. शारीरिक विकलांग प्रधान परिवार।
6. आदिम जनजाति परिवार
7. गर्भवती, धातृ माता एवं महिला प्रधान परिवार।
8. बी.पी.एल. गरीबी रेखा से नीचे के अन्य परिवार।
9. भूमिसुधार के लाभुक।
10. इंदिरा आवास योजना के लाभुक।
11. अनुसूचित जनजाति के लाभान्वित तथा अन्य परम्परागत जंगल के निवासी(वन अधिकार अधिनियम 2006–(2007 का 2) के मान्यता प्राप्त) और
12. उक्त श्रेणीयों के बाद, लघु एवं सीमांत कृषक।

संसाधन एवं सामाजिक मानचित्र

सामाजिक मानचित्र

यह मानचित्र गांव, टोला या वार्डों में स्थित घरों, सड़कों, पगडंडियों तथा सार्वजनिक संस्थाओं यथा मंदिर, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि को दर्शाता है।

इसमें संकेतों या रंगों के माध्यम से कमजोर वर्ग के चिन्हित परिवारों (अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला प्रधान परिवार, विकलांग परिवार एवं अन्य समूहों) का नक्शा तैयार करते हैं।

इसी मानचित्र में मनरेगा से निर्मित व्यक्तिगत परिसंपत्तियों की जानकारी भी प्रदर्शित की जाएगी।

मानचित्र के तैयार हो जाने पर वंचित परिवारों के साथ उनके लघु एवं दीर्घकालिक कमियों को रोजगार एवं परिसम्पत्ति निर्माण के लिए मनरेगा के संभावित उपयोग पर समूह चर्चा की जा सकेगी।

ये मानचित्र गाँव के निवासियों के द्वारा बनाा जाना चाहिए

चार्ट पेपर, स्केल, पेन पेन्सील, रबर संसाधन मानचित्र, रंगोली, चॉक इत्यादि ले जाना न भूलें।

संसाधन मानचित्रण

ये मानचित्र टोला, वार्ड या प्रत्येक गांव के लिए अलग–अलग बनाये जाते हैं, जिसमें गांव की सीमा रेखा एवं दिशाओं का चिन्हाकन करते हैं।

मानचित्र में जल स्रोतों के वर्गीकरण के अनुसार तालाब, नदी, नाला, कुएं, चापाकल आदि को दर्शाएंगे।

यह मानचित्र जमीन और जल स्रोतों को उनकी उपयोगिता और भौगोलिक लक्षणों के साथ बनेगा।

कृषि जमीन, बगीचा, वन, चरागाह और अन्य जमीन को प्रदर्शित करेंगे।

मानचित्र में भौतिक संरचनाएं जैसे – मेड़ और जल निकासी के तरीके तथा जमीन के प्रकार में ऊंची और नीची भूमि आदि सभी को प्रदर्शित करेंगे।

संसाधन मानचित्र से गांव के भौतिक संसाधनों को समझने में सहयोग मिलेगा।

राजस्व मानचित्र आप अपने प्रभारी अधिकारी से प्रापत कर सकते है।

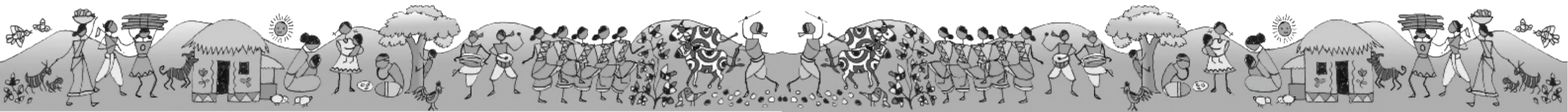

मौसमी कैलेन्डर

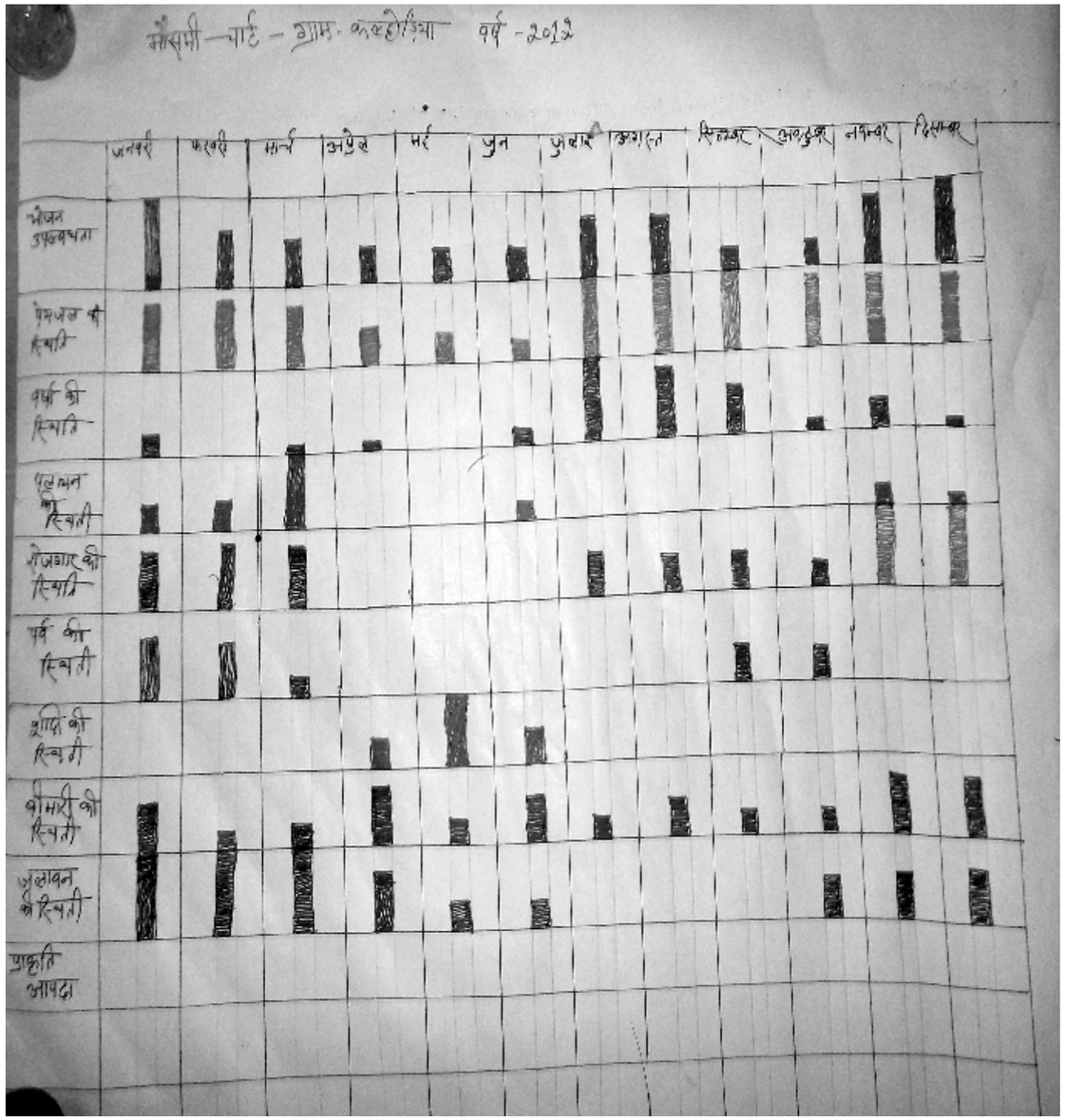

- गांवों में जीवन और आजिविका मौसम के अनुसार बदलते रहते है ऐसे मौसम भी है जब कृषि कार्य और श्रम रोजगार की उपलब्धता बहुत अधिक होती है।
- कमजोर मौसम होता है जब नहीं कृषि और सामुदायिक परिसंपत्ति आधारित आजीविका उपलब्ध होते है। यह वह समय है जब मनरेगा के रोजगार बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाते है।
- कृषि, श्रम, रोजगार, पलायन, मनरेगा कार्य, वन संसाधन आदि जैसे परिवर्तनशील सूचकों को बाएं और ले।
- आजीविका एवं रोजगार का मौसमी चित्रण अलग–अलग समुदायों के बीच तथा महिला एवं पुरूषों के बीच भी परिवर्तित किया जा सकता है।

टोला में चर्चा– विभिन्न समूह के साथ

दलित/आदिवासी बसाहटों में मूलभूत आवश्यकताओं जैसे पेयजल, सड़क, सिंचाई के साधन आदि की स्थिति क्या है।

वंचित व्यक्तियों, परिवारों, समूहों तथा महिलाओं के जीवन यापन साधनों के उपलब्धता क्या है।

पलायन करने वाले परिवार।

मनरेगा के विषय में चर्चा।

मनरेगा श्रमिकों के परेशानियों पर चर्चा

पंजीयन तथा बैंक पासबुक से वंचित परिवार।

काम की मांग करने वाले परिवार।

योजनाओं का टोला स्तरीय प्लान बनाने पर चर्चा।

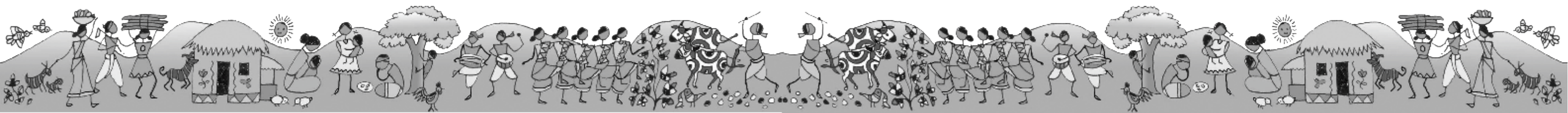

मुद्दों के प्रकार	विवरण	सार्वजनिक भूमि	व्यक्तिगत भूमि
कृषि	भूमि	बोल्डर चेक डैम	बोल्डर चेक डैम
		गेबियान संरचना	गली प्लग
		पौधरोपण और चारा उत्पादन	बाढ़ से बचने के लिए खेत की नहरो का गहरीकरण
	जल संरक्षण एवं मृदा कटाव	कंटूर ट्रेंच	डबरी
		कंटूर बण्ड	रिचार्ज पिट
		भूमिगत डाईक	
		मिट्टी के डैम	
	सिंचाई	नालों का उपचार	फील्ड चैनल, कुआँ
	मृदा के उपजाउपन में वृद्धि	समुद्री क्षरण से बचने के लिए पौधारोपण (वनस्पति प्रवर्धन)	नापेड टैंक
		बाढ़ नियंत्रण हेतु नाली निर्माण	वर्मीकम्पोस्ट टैंक
		मुख्य सिंचाई नहर का गहरीकरण एवं सुधार	तरल वायो खाद टैंक
पशुधन	उत्पादन में वृद्धि		पशुओं के लिए पक्की फर्श, मूत्र टैंक आदि का निर्माण
	छोटे पशुओं का विकास		बकरी शेड
	पोल्ट्री विकास		पोल्ट्री शेड
	मत्स्य विकास	शासकीय भूमि में मानसूनी जल संरचनाओं/ढांचों में मछली पालन, मछली सुखाने का बाड़ा	निजी भूमि में मछली सुखाने का बाड़ा, मछली पालन
सांक्षा (सार्वजनिक) गतिविधियां या सुविधाएं	स्वच्छता	सेक पिट	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
		शाला में शौचालय	शोक पिट
		आंगनवाड़ी में शौचालय	
		ठोस एवं तरल अवशिष्ट प्रबंधन	
उद्यानिकी वृक्षारोपण	वनीकरण	वनीकरण	फलदार वृक्षारोपण
		वृक्षारोपण, सड़क किनारे फलदार वृक्षों का रोपण	वृक्षारोपण

क्र.	क्षेत्र	मनरेगा के अंतर्गत कार्य	अन्य विभागों के संसाधनों से कार्य
1.	कृषि	• भूमि विकास • क्षेत्रीय तालाब	• बीज • कृषि के उपकरण • खाद • तकनीकी उपकरण/इनपुट • ड्रिप सिंचाई (कृषि विभाग)
2.	उद्यानिकी	• गड्ढ़े • सीमा (बाउंड्री) के साथ खंदक • छिड़काव/सिंचाई	• वृक्षारोपण हेतु पौधा/बीच रोपण • खाद • कीटनाशक (उद्यानिकी विभाग)
3.	रेशम उत्पादन	• भूमि की तैयारी • पौधारोपण • निराई (Weeding) • छिड़काव/सिंचाई	• खाद और कीटनाशक का आवेदन • तकनीकी सहायता • ड्रिप सिंचाई • पालन घर (Reaning House) (रेशम एवं सिंचाई विभाग
4.	वन	• कन्टूर ट्रेंच • गड्ढ़े • बाड़/घेराबंदी	• नर्सरी विकास • पौध/बाल वृक्ष • खाद • कीटनाशक (वन विभाग)
5.	मत्स्य/मछली पालन	• हौज/कुंड का उपयोग • हौज/कुंड की डिसिल्डिंग	• फिंगरलाईन • खाद देना • कृत्रिम बीजरोपण • जाल का क्रय (मत्स्य/मछली पालन विभाग)
6.	सिंचाई	• नहर/नाली निर्माण • सिंचाई कार्य • भूमि कार्य	• स्थायी ढांचों का निर्माण (कृषि सिंचाई विभाग)

ग्राम सभा

न्यूनतम 1 महीना पूर्व ग्राम सभा में योजना निर्माण की घोषणा।

"ग्राम विकास समिति" के द्वारा ग्राम विकास योजना का निर्माण।

अभिवंचित परिवारों/समूहों की पहचान। (एकल, विधवा महिला/वृद्ध/विकलांग/आदिम जनजाति/भूमिहीन/एससी/एसटी)

नरेगा में अगले वित्तीय वर्ष हेतु संभावित मानव दिवस एवं बजट का आकलन।

कोरमः—गैर अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा बैठक में सदस्यों की उपस्थिति वयस्क जनसंख्या का कम से कम 1/10 होनी चाहिए।

इसमें भी महिलाओं की संख्या 1/3 होना जरूरी है। वहीं अधिसूचित क्षेत्रों में यह संख्या क्रमशः 1/3 व 1/3 होनी चाहिए।

अभिवंचित परिवार/समूहों के लिए योजना एवं बजट का निर्धारण।

अन्य ग्राम विकास योजनाओं पर ग्राम सभा में खुली चर्चा एवं प्राथमिकीकरण।

पूर्व से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त एवं अपूर्ण योजनाओं की प्रस्तुति तथा पूर्ण योजनाओं का ग्राम सभा से उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्गत करना।

पिछले वर्ष संपन्न ग्राम सभा से पारित योजनाओं की प्रस्तुति।

ग्राम सभा में चिह्नित लाभार्थियों का व्यक्तिगत एवं सामुदायिक योजनाओं को ग्राम सभा से पारित करना।

ग्राम सभा बैठक पंजी में सम्पूर्ण विवरणी के साथ ब्यौरा दर्ज करना।

बैठक कार्यवाही पंजी में बिना कोई खाली स्थान छोड़े प्रत्येक पृष्ठ पर सभाध्यक्ष/ग्राम प्रधान का हस्ताक्षर

सभाध्यक्ष अथवा ग्राम प्रधान के द्वारा आगे की कार्रवाई हेतु ग्राम सभा बैठक पंजी की छायाप्रति ही ग्राम पंचायत को सुपुर्द करना।

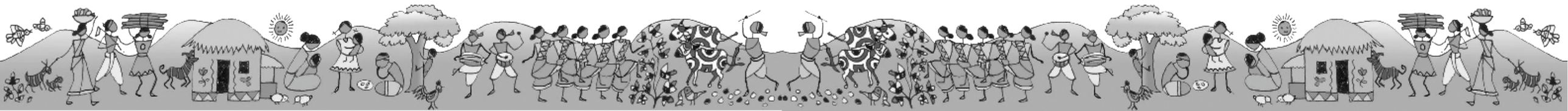

पंचायत बैठक

सभी ग्राम सभाओं से पारित योजनाओं को ससमय प्राप्त करना।

निर्धारित प्रपत्र में ग्रामवार योजनाओं का समेकित प्रतिवेदन तैयार करना।

योजना एवं बजट का आकलन तथा मिलान।

ग्राम सभा से पारित योजनाओं पर ग्राम पंचायत बैठक में खुली चर्चा।

आवश्यकता के अनुसार ग्राम पंचायत के अन्दर 2 या इससे अधिक गांव को प्रभावित करने वाली योजनाओं को पंचायत प्लान में जोड़ना।

चर्चा के उपरान्त ग्रामवार सभी योजना विवरणियों को बैठक पंजी में दर्ज करना।

ग्राम पंचायत बैठक पंजी में बिना कोई खाली स्थान छोड़े बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों तथा सरकारी कर्मियों का हस्ताक्षर।

ग्राम पंचायत मुखिया का प्रत्येक पृष्ठ पर बिना कोई खाली स्थान छोडे हस्ताक्षर करना।

ग्राम पंचायत बैठक पंजी की छायाप्रति ही प्रखण्ड आगे की कार्रवाई हेतु सुपुर्द करना।

मनरेगा स्वंतत्र कार्य–योजना का प्रतिवेदन

कार्य का नाम	अधिनियम की अनुसूची–1 के कार्य की कोटी	चालू /नया	व्यक्तिगत कार्य में लाभूक का नाम	व्यक्तिगत लाभूक की कोटी	खाता, प्लौट संख्या	परिणाम की इकाई (मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुरूप	अपेक्षित परिणाम ĜŔŐÑŃPÑŇ Outcome	मनरेगा से			कुल योग			कुल लंक्षित मानव दिवस सृजन
								श्रम मद	सामग्री (कुशल एवं अर्द्ध कुशल सहित)	कुल	श्रम मद	सामग्री (कुशल एवं अर्द्ध कुशल सहित	कुल	
मतलीकरण	J ĪJ	नया	संगिता देवी	ST		K		23908	ĈEÇÇ	ČDĐDĊ	23908	ĈEÇÇ	Č5853	ĈÇÇ
मतलीकरण	J ĪJ	नया	राजेन्द्र सिंह	ST		K		23908	ĈEÇÇ	ČDĐDĊ	23908	ĈEÇÇ	ČDĐDĊ	ĈÇÇ

प्रखंड प्रस्तुतीकरण

प्रपत्र–2												
मनरेगा (अभिसरण) कार्य –योजना का प्रतिवेदन												
जिला का नाम :												
प्रखंड	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	क्र.सं.	कार्य का नाम	अधिनियम की अनुसूची–1 के कार्य की कोटी	चालू /नया	व्यक्तिगत कार्य में लाभूक का नाम	पिता/ पति का नाम	व्यक्तिगत लाभूक की कोटी	खाता, प्लौट संख्या	परिणाम की इकाई (मनरेगा दिशा–निर्देश के अनुरूप	अपेक्षित परिणाम ĜŔŐÑŃPÑŇ Outcome
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

मनरेगा से			६ ॰ ु			कुल योग			मावन दिवस सृजन
˘ मद	अर्द्ध कुशल सहित		˘ मद	एवं अर्द्ध कुशल सहित		˘ मद	एवं अर्द्ध कुशल सहित		

नरेगा योजना के तहत् सूचिबद्ध कार्य

पानी इकट्ठा करने, उसको रोकने और उसके रख–रखाव से संबंधित काम, जैसे तालाब, बावड़ी, कुँए, आदि।

तालाबों की साफ–सफाई। पहले से बने तालाबों, पोखरों, बावड़ियों, कुओं, आदि का रख–रखाव।

सूखे को रोकने से संबंधित काम, जैसे पेड़ लगाना।

बाढ़ रोकने के लिए बांध बनाना और निकासी के उपायों से जुड़े काम करना।

सिंचाई की व्यवस्था से जुड़े काम, जैसे नहर निर्माण, नहरों को ठीक करना, आदि।

दलितों, आदिवासियों और छोटे किसानों जिनके पास 2.50 एकड़ तक जमीन है उनकी भूमि पर सिंचाई, मेढ़बंदी की सुविधा, आदि।

भूमि–सुधार से जुड़े काम जैसे मेढ़बंदी, समतलीकरण आदि शामिल हैं।

ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची सड़क और संपर्क मार्ग बनाना।

अभिसरण (कन्वरजेन्स)

कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि	मजदूरी राशि	सामग्री के लिए उपलब्ध राशि
केचुँआ खाद	9000.00	2250.00	6750.00
संजीवक और अमृत पानी	2000.00	600.00	1400.00
मुर्गी पालन के लिए घर	40000.00	8000.00	32000.00
बकरी एवं गोशाला	35000.00	8750.00	26250.00
अंजोला पशुआहार	2000.00	300.00	1700.00
शौचालय	9900.00	2440.00	7460.00
सोक्ता गड्ढा	2000.00	1000.00	1000.00
रिचार्ज पिट	5000.00	2500.00	2500.00
स्कूल के लिए शौचालय	35000.00	3500.00	32500.00
ऑगनबाड़ी के लिए शौचालय	8000.00	1360.00	6640.00

नोटः– उपरोक्त योजना प्राक्कलन मध्य प्रदेश के देवास जिला जुलाई 2011 के मजदूरी दर पर आधारित हैं।

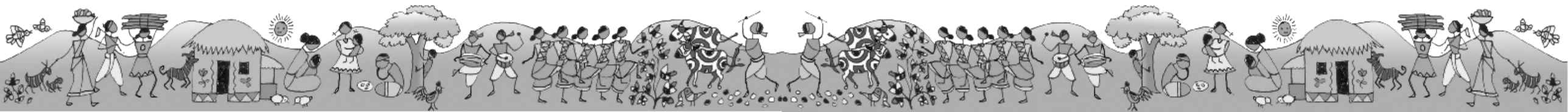

इन बातों पर अवश्य ध्यान रहे !

योजना निर्माण के आकलन हेतु चेकलिस्ट

योजना निर्माण के उपरांत उसका आकलन इन मानकों के आधार पर करना आवश्यक होता है।

क्या उपलब्ध संसाधन के आधार पर योजना बनाई गई है? (मनरेगा के संदर्भ मं श्रम बजट एवं वास्तविक मांग के अनुरूप) जिसमें हर इच्छुक निबंधित परिवारों को साल में 100 दिन का कार्य मिल सके।

क्या 60 : 40 का श्रम सामग्री अनुपात था? यथासंभव पालन करने का प्रयास किया गया है।

क्या कुल योजनाओं में 60% से अधिक योजना कृषि और उससे संबंधित है?

क्या तीनों श्रेणियों के कार्यों का उचित मिश्रण है?

(क) प्राकृतिक संसाधन प्रबंध से सामुदायिक कार्य।

(ख) वंचित समुदायों के लिए सामुदायिक या व्यक्तिगत परिसंपत्ति।

(ग) सबके लिए आधारभूत संरचना (स्वयं सहायता समूह सहित)

क्या वंचित समुदाय के परिवारों की आवश्यकता उनकी आजीविका के अवसर और उनकी दक्षता के आधार पर उनके लिए व्यक्तिगत लाभ की योजना ली गई है?

गाँधी जी की ताबीज

"मैं तुम्हें एक ताबीज देता हूँ। जब भी तुम दुविधा में हो या जब तुम्हारा अहम तुम पर हावी हो जाए, तो इसका प्रयोग करो। उस सबसे गरीब और दुर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने कभी देखा हो, और अपने आप से पूछो, जो कदम मैं उठाने जा रहा हूँ, वह क्या उस गरीब के कोई काम आएगा? क्या उसे इस कदम से कोई लाभ होगा?

तुम पाओगे कि तुम्हारी सारी अहम पिघल कर खत्म हो रहा है।"

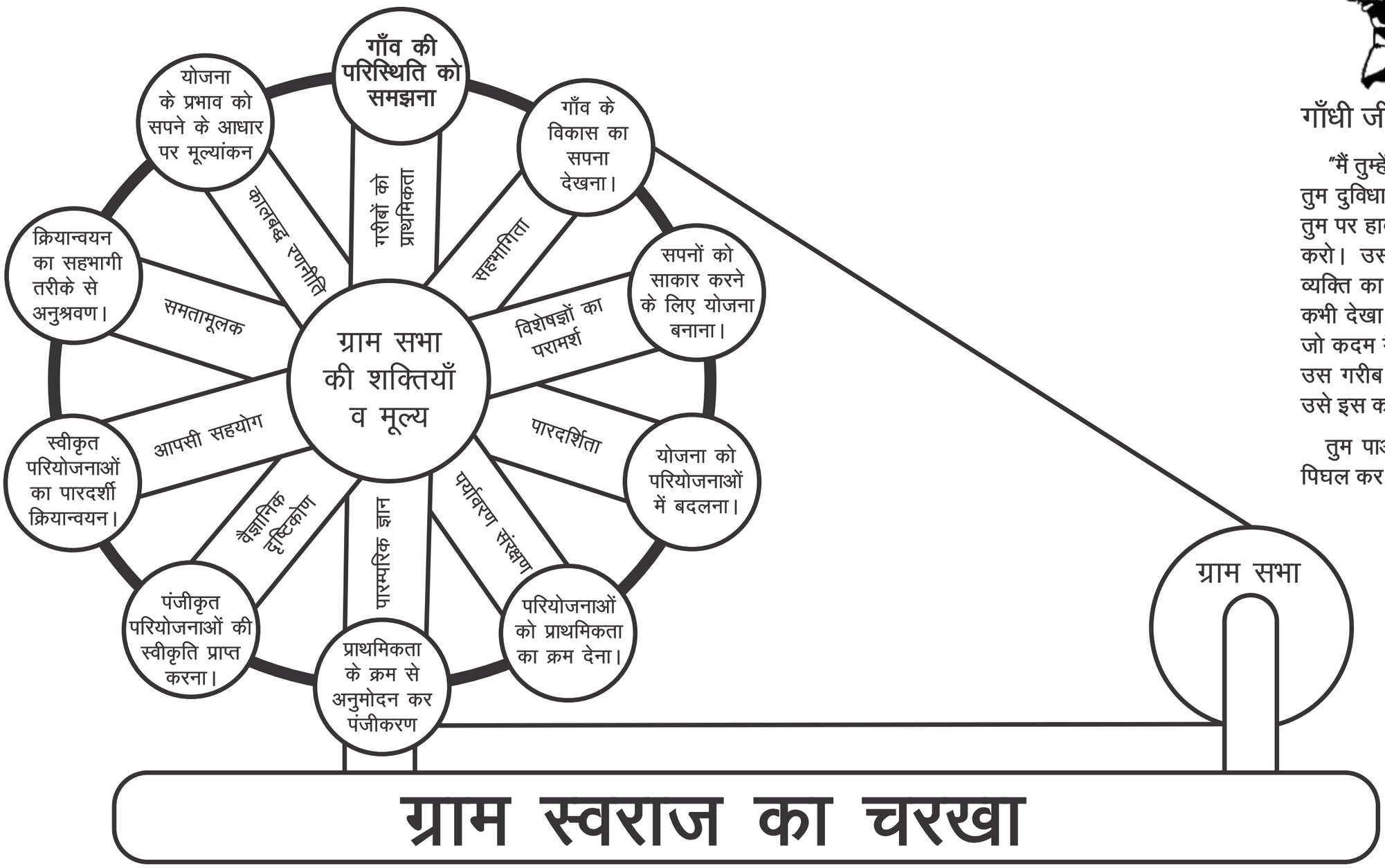

ग्राम स्वराज का चरखा

YOUR RIGHTS UNDER THE EMPLOYMENT GUARANTEE ACT

WORK APPLICATIONS

1. With this Job Card, you are entitled to apply for work at any time. You can submit your application to the Gram Panchayat, or to the Block office.
2. If you apply for work, employment has to be given to you within 15 days of work done.
3. When you apply for work, make sure that you get a dated and signed receipt.
4. If you do not get employment within 15 days, you are entitled to the unemployment allowance.

WORKERS' ENTITLEMENTS

5. All workers are entitled to the statutory minimum wage.
6. Men and women should be paid equally.
7. Wages should be paid within a week, or fifteen days at most.
8. Wages should be paid in public. When wages are paid, muster rolls should be read out and Job Cardentries should be made.
9. Sign the muster roll after receiving your wages and checking the entries. Never sign a blank musterroll.
10. If you live more than 5 km away from the worksite, you are entitled to a travel and subsistence allowance (10% of the minimum wage).

AT THE WORKSITE

11. Muster rolls should be available and maintained at the worksite. You are entitled to check the musterroll at any time.
12. Shade, drinking water and first-aid should be available at every worksite.
13. If more than five children under the age of six years are present, child care facilities should also beprovided at the worksite.

UNEMPLOYMENT ALLOWANCE

14. If you have not been given work within 15 days of applying, you are entitled to the “unemploymentallowance”.
15. The unemployment allowance amounts to one fourth of the minimum wage for the first 30 days, andone half thereafter.
16. You can apply for the unemployment allowance to the Gram Panchayat or Block Office (you will needthe receipt showing when you applied for work).

WATCH YOUR JOB CARD!

17. This Job Card (with photograph) should be given to you free of cost. Don't let anyone charge you for it.
18. Every household is entitled to a separate Job Card.
19. Keep this Job Card with you. No-one has the right to take it away.
20. Entries have to be made in front of you when your wages are paid.
21. Make sure that no false entries are made in the Job Card.
22. If you lose this Job Card, you can apply for a new one from the Gram Panchayat.

HELP AND COMPLAINTS

23. If you have a problem, you should first approach the Gram Panchayat. If this does not help, you cansubmit a complaint to the Programme Officer at the Block level.
24. If you complain to the Programme Officer, it is his duty to register your complaint and take action within 7 days.
25. You can also seek help from the following “Helpline”: [INSERT HELPLINE NUMBER].

The EUROPEAN UNION is a unique partnership of 28 independent nations or Member States in a political and economic union that facilitates development within the region and enhances its influence at the global level.

Welthungerhilfe is a non-profit making organisation. It is run by a board of honorary members under the patronage of the Federal Republic of Germany. The South Asia Regional Office is based in Delhi and manages projects in the countries of India, Nepal and Bangladesh. In South Asia, over the past 50 years Welthungerhilfe has supported around 1000 rural development projects in partnership with local development organizations, who work with the most vulnerable and marginalized people. www.welthungerhilfesouthasia.org